

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौडगढ़ ( राज.)

.....येर..... बनाम.....अश्वती लाल.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर...02.../2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/01/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>येर-मोहन-बन्दु-तुलदी-लेही-कल्लुरी</u></p> <p>पिता श्री <u>सुरवेद न माली</u></p> <p>निवासी- <u>बिजयपुर</u> <sup>बल्दी</sup> तहसील, जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम..... <u>येरच (पन्ह बिजयपुर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....<u>149</u></p> <p>कुल कीता .....<u>01</u>..... कुल रकबा <u>1.5000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>येरच (पन्ह बिजयपुर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>149</u></p> <p>कुल कीता .....<u>01</u>.....रकबा <u>1.5000</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>15000=00</u>रुपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रुपए</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>SP</u> <b>(रामचन्द्र खटीक)</b> सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़</p>